



2021/94

फर्द अहकाम
गोदाली डेवा बनाम डेवा

न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

प्र वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 43/21

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2 $\frac{12}{21}$	<p>पत्रावली मूल वाद में पक्षेतर पत्र पेश करने पर नम्बर पर ली गयी। पक्षियों का उपस्थिति। पक्षियों का मूल वाद में पक्षेतर पत्र वाद निहो होने से सब खारिज हो चुका है ए.सि.सि. में उक्त पक्षेतर पत्र को प्राप्ति चबोत का कोड अतिरिक्त नहीं है। अतः पक्षियों का पक्षेतर पत्र खारिज किया जाता है। व्यापारिक 14.6-21 को गार्ड हवात अधेश पत्रावली मूल रूप होते से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से चत होकर कड तक भीरु रा किब दफत है।</p> <p>आज्ञा क्रि.सं. 2.12.21 को पर निर्णय उद्योगत जेको के सेज अतिपाल के म्य गड में मजेत आज्ञा में सुनाया गया।</p>	<p>12.12.21 गोदाली</p>  <p>वे.ल.21</p>  <p>सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर</p>